

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

परिवाद संख्या - 11/22

बड़जलास - मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		सुआलाल प्रजापत पुत्र गणपतलाल जाति प्रजापत निवासी पदम कुम्हारों का मोहल्ला, श्रीयादें मन्दिर, मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर। फर्म:- गजानन्द स्वीट होम बस स्टेण्ड मेडता सिटी।

आदेश


दिनांक :23.05.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30-10-2021 को मैसर्स गजानन्द स्वीट होम बस स्टेण्ड मेडता सिटी, पर खाद्य पदार्थ मावा पेडा (मिठाई) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1648 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/495/एक्ट/2021/288 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ मावा पेडा (मिठाई) अनसेफ होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खोया की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.01.22 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मावा पेडा (मिठाई) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त सुआलाल प्रजापत पुत्र गणपतलाल जाति प्रजापत निवासी पदम कुम्हारों का मोहल्ला, श्रीयादें मन्दिर, मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 28-03-22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 06.05.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से मावा पेडा का सम्पल भरा गया था जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया था। मैं विकलांग आदमी हूँ एवं छोटा दुकानदार हूँ। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता हूँ तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/495/एक्ट/2021/288 दिनांक 08.11.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा पेडा (मिठाई) का नमूना अनसेफ होना पाया गया है। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खोया की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.01.22 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मावा पेडा (मिठाई) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सुआलाल प्रजापत पुत्र गणपतलाल जाति प्रजापत निवासी पदम कुम्हारों का मोहल्ला, श्रीयादें मन्दिर, मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर पर रूपये 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये शारित आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शारित राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शारित राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मोहन लाल खटनावलिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
नागौर (राजस्थान)